



कार्यालय आदेश

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् वित्तीय एवं लेखा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एवं एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत कार्यक्रमों का व्यय का भुगतान होने के लिए कार्यालय आदेश संख्या Actts / 3327 दिनांक 09-07-2012 निर्गत किया गया है। इस आदेश के अनुसार राज्य एवं जिले स्तर के संभाग प्रभारी, DPO (SSA), DPO (Accounts & Planning) एवं DEO के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निश्चित कर एक निर्धारित सीमा में भुगतान करना निश्चित किया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत विपत्रों के भुगतान से संबंधित नये नियम लागू किये गये हैं। जिनकी पूर्ण जानकारी जिले के संभाग कर्मियों को नहीं है। मुलतः इसमें विपत्रों को Process कर DPO (SSA) एवं DEO से स्वीकृत्यादेश प्राप्त करना है एवं लेखा शाखा को उसका भुगतान सूननिश्चित करना है।

राज्य स्तर पर सभी संभाग प्रभारी इस आदेश का पूर्ण अनुश्रवण कर जिले के संबंधित संभाग कर्मियों की बैठक में आदेश संख्या 3327 दिनांक 09-07-2012 की सभी मुल बिन्दुओं की चर्चा करेंगे एवं विपत्रों के भुगतान की स्वीकृत्यादेश प्राप्त करने के नियमों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण देंगे। जिससे की कार्यालय आदेश का अनुपालन राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर नियमानुकूल हो सके।

विश्वासभाजन

(राहुल सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक


ज्ञापांक :- 3559

दिनांक :- 23.07.12

प्रतलिपि :- सभी संभाग प्रभारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिलों को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

§



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें